



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3726]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2018/भाद्र 28, 1940

No. 3726]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2018/BHADRA 28, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2018

का.आ. 4893(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 2609 (आ.), दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

दारोजी भालू अभयारण्य कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के हास्पेट और संदूर में स्थित है और यह 82.72 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 15° 14' उत्तरी से 15°07'उ. अक्षांश तथा 76° 31' से 76° 40' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस अभयारण्य को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के उपखंड (ख) के अंतर्गत आरम्भ में 55.873 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को दारोजी भालू अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने वाली कर्नाटक सरकार की अधिसूचना सं. ईई 159 एफ डब्ल्यू एल 91 तारीख 17.10.1994 द्वारा बनाया गया है और आगे वर्ष 2008 में कर्नाटक सरकार ने बुद्धा सगरा आरक्षित वन क्षेत्र के 26.85 वर्ग कि.मी. के

अतिरिक्त क्षेत्र को अपनी अधिसूचना सं. एफईई 119 एफडब्ल्यू एल 2008, तारीख 3.10.2008 द्वारा दारोजी भालू क्षेत्र के अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। वर्तमान में दारोजी भालू अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 82.72 वर्ग कि.मी. है।

दारोजी भालू अभयारण्य भारत में केवल ऐसा अभयारण्य है जो संकटापन्न स्तनपायी भारतीय रीछ (मेलसर्स अर्सीनस) के संरक्षण के लिए स्पष्टतया घोषित किया गया है, इस अभयारण्य में शैलमय शिलाखंड और गुफाएँ, झाड़ीदार जंगल और भू-भाग, रीछों तथा चीतों के लिए अभीष्ट प्राकृतिक आवास बनाए हैं।

स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और वन्यजीव कार्यकर्ताओं की सहायता से वन विभाग द्वारा अपनाई गई कठोर संरक्षक संबंधी पद्धतियों के कारण अभयारण्य का पुनरुद्धार किया गया है और संपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रणाली में पूर्णतया परिवर्तन किया गया है। संपूर्णस अत्युर्वर वनस्पति दूठों से और भालूओं तथा पक्षियों द्वारा किए गए बीज छितराव द्वारा पुनःजीवित की जाती है। कभी बंजर, विकृत हुए जंगल अब हरे भरे हो गए हैं। उत्तरी कर्नाटक के झाड़ीदार वन में विशिष्ट पादपों की असंख्य प्रजातियां यहां दिखाई देती हैं। क्योंकि जंगल को पुनःजीवित किया गया है, इसलिए वन्य जीव यहां फलफूल रहा है। भारतीय रीछों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। चीता, साही, साल, गीदड़, काले रोएंदा खरगोश और लाल नेवला आदि की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है और यहां लगभग पक्षियों की 150 प्रजातियां जिनमें दुर्लभ पीत कंठदार बुलबुल, रंग बिरंगा पदकन्टमुर्गा भी है, पहचान की गई है तथा यहां स्टार कछुओं, अजगर, रसल वाईपर रेड सैन्ड बोआ, कोबरा जैसे सरीसृप और बहुत से सांप दिखाई देते हैं।

और, दारोजी भालू अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में दारोजी भालू अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.0 किलोमीटर से 4.7 किलोमीटर की सीमा तक के विस्तार क्षेत्र को दारोजी भालू अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार दारोजी भालू अभयारण्य के चारों ओर 1.0 किलोमीटर से 4.7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 158.70 वर्ग किलोमीटर (बिलिकल्लू पश्चिम रिजर्व वन क्षेत्र और कुछ खंड-4 के क्षेत्रों सहित) है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध I के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का निर्धारण करने वाले संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र उपाबंध II क-ड में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों का वर्णन उपाबंध-III (क) और (ख) के रूप में संलग्न है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप बनाई जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजनाएं पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जायेगी:

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग;
- (xii) राजमार्ग;
- (xiii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों व्यवस्था की जाएगी के सुधारक को जिससे कि वे अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बन सके।

(5) आंचलिक महायोजना में वन-रहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस योजना में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जायेंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा तथा इस अधिसूचना के पैरा 4 में तालिका में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि निगरानी के अपने कर्तव्यों का इस अधिसूचना के अनुसार निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा मनोरंजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह-वास;
और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जायेगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ङ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के सुधार में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करके पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश इस रीति से बनाए जाएंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन -- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) प्राकृतिक विरासत -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जिन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण- तमिलनाडु राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) बहिष्काव का निस्सारण- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) ठोस अपशिष्ट- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) सड़क-यातायात:- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) वाहन जनित प्रदूषण:- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां: - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की ईकाइयां।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। तथापि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर घरेलू छोटी किराने की दुकानों आदि की अनुमति दी जानी चाहिए।

4.	ईट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई की परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जलाशयों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अनुज्ञात की जाएगी: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रह सकता है:
विनियमित क्रियाकलाप		
9.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित ।
10.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
11.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
12.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन कार्यक्रमों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं। तथापि 1 किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन कार्यक्रमों या विद्यमान कार्यक्रमों के विस्तार पर्यटन महायोजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।
14.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: या पर्यावरणीय पर्यटन गतिविधियों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी कब्जे के लिए आवास को छोड़कर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक जो भी निकट है। परन्तु, एक किलोमीटर से अधिक या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, सभी नई पर्यटन गतिविधियां या मौजूदा गतिविधियों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा। परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । (ख) परंतु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कार्यक्रमों को विनियमित किया जाएगा और

		<p>लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से न्यूनतम रखा जाएगा।</p> <p>(ग) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण गतिविधि आंचलिक महायोजना के अनुसार होगी।</p> <p>परंतु एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
15.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।</p> <p>(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामलों में कार्यकरण योजना निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।</p>
16.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	<p>(क) सतह जल और भू जल का निष्कर्षण वास्तविक कृषि उपयोग और भूमि के अधिभोगी के घरेलू उपयोग के लिए ही अनुज्ञात किया जाएगा।</p> <p>(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और भूजल निष्कर्षण जिसके अंतर्गत वह भी मात्रा भी है जिसे निष्कर्षित किया जा सकता है, विनियामक प्राधिकरण से पूर्व लिखित अनुज्ञा की अपेक्षा करेगा।</p> <p>(ग) सतही जल अथवा भूमिगत जल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। हालांकि, स्थानीय जल की पेयजल आवश्यकताओं जैसे आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) इकाइयों की स्थापना के लिए केवल सतही जल या भूजल की बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए।</p> <p>(घ) किसी खोत जिसमें कृषि भी है, से जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।</p>
17.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों, पाइपलाइनों, ऑप्टिकल फाइबर केबलों, आदि की स्थापना।	<p>(i) भूमिगत केबल और पाइपलाइन आदि डालने को प्रोत्साहित करना।</p> <p>(ii) आंचलिक महायोजना के अधीन विवरणों के अनुसार या मानिटरी समिति की सिफारिशों से पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वैद्युत खंभे खड़े किए जा सकते हैं।</p>
18.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	लघु उद्योग, जो प्रदूषण कारित नहीं कर रहे हैं।	प्रदूषण न करने वाले गैर परिसंकटमयी लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित उद्योग स्वदेशी मालों से पारिस्थितिक संवेदी जोन से उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं और जो पर्यावरण पर संघात कारित नहीं करते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
26.	वनोत्पादक या गैर इमारती लकड़ी का (एनटीएफपी) संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
27.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक दोहन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	वायु एवं वाहन जनित प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	कृषि प्रणाली में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संबंधित क्रियाकलाप		
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
33.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि-वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	सक्रिय रूप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

- | | | |
|-------|---|----------|
| (i) | क्षेत्रीय आयुक्त, गुलबर्ग | अध्यक्ष; |
| (ii) | माननीय विधान सभा सदस्य, हास्पेट निर्वाचन क्षेत्र, बेल्लारी जिला | सदस्य; |
| (iii) | पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि | सदस्य; |
| (iv) | शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि | सदस्य; |
| (v) | क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | सदस्य; |

(vi)	पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -	सदस्य;
(vii)	कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय का नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	उप वन संरक्षक, बेल्लारी प्रभाग, बेल्लारी	सदस्य सचिव।

*(कर्नाटक राज्य सरकार के अधीन प्रासंगिक अनुमोदन प्राप्त करने के अलावा विधानसभा, कर्नाटक के अध्यक्ष से अनुमति, यदि आवश्यक हो)

6. विचारार्थ विषय:-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
 - (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और तत्पश्चात् निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
 - (3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
 - (4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।
 - (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
 - (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले में आवश्यकता अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
 - (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध VI** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
 - (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
 8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।


[फा.सं. 25/137/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध।**संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन**

तुंगभद्रा नदी (उ 15°22'46.30" पू 76°32'37.72") के किनारे पर दारोजी भालू अभयारण्य के उत्तर में बिन्दु सं. 1 स्थित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन रेखा पूर्व कि दिशा में सीधा बिन्दु सं.-2 (उ 15° 22' 43.76" पू 76° 34' 11.86"), की तरफ बढ़ती है, तत्पश्चात सीमा रेखा बिन्दु सं. -3 (उ 15° 21' 49.46" पू 76° 34' 12.94"), कि तरफ बढ़ती है, इसके बाद सीमा रेखा रामासागर टंक के दूर से बिन्दु सं. -4 (उ 15° 21' 39.11" पू 76° 34' 42.31 कि तरफ मुड़ती है, तब सीमा रेखा दक्षिण कि ओर तुंगभद्रा नदी के किनारे बिन्दु सं.-5(उ 15°20'51.34" पू 76°34'42.73") की ओर बढ़ती है, इसके बाद सीमा रेखा पूर्व कि ओर नहर के साथ-साथ बिन्दु सं.-6 (उ 15°21'02.47" पू 76°35'14.71"), तक बढ़ती है तब सीमा रेखा नीचे की तरफ दक्षिण- पूर्व दिशा में बिन्दु सं.- 7 (उ 15°19' 71.32" पू 76°36'44.32"), तक बढ़ती है तब सीमा रेखा छोटी पहाड़ी कि तलहटी से बिन्दु सं.-8 और बिन्दु सं.-9 तक, मैत्री ग्राम नन्दोबस्त के सिवाय, बिन्दु सं.-9ए (उ 15°18'04.72" पू 76°37'49.21"), पर मैत्री-देवलापुरम रोड को जोड़ती है, इसके बाद सीमा रेखा रोड के साथ चलते हुए बिन्दु सं.- 10 (उ 15°17' 27.64" पू 76° 38' 23.58"), तक चलती है उसके बाद यह दक्षिण- पूर्व दिशा कि ओर बिन्दु सं. -10ए (उ 15°17'18.82" पू 76°38'11.57") तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा दक्षिण दिशा कि ओर मुड़ कर बिन्दु सं.- 11 (उ 15°17'01.10" पू 76°38'24.90") तक जाती है, जो कि देवलापुरम ग्राम नन्दोबस्त के बाहर स्थित है, तत्पश्चात सीमा रेखा सीधा दक्षिण- पूर्व दिशा में चलते हुए बिन्दु सं.-12 (उ 15°16'34.11" पू 76°39'41.04") तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा रेखा पूर्व में बिन्दु सं. -13 (उ 15°16'32.42" पू 76°40'23.38") तक जाती है जो कि जल नहर कि किनारे स्थित है। इसके बाद सीमा रेखा नहर के साथ-साथ दक्षिण दिशा कि ओर बिन्दु सं.-14 से होते हुए मुड़ती है तथा बिन्दु सं.-15 जो कि डरोजी टंक के उत्तरी किनारे पर स्थित है तक पहुँचती है, इसके बाद सीमा रेखा डरोजी टंक कि सीमा के साथ-साथ बिन्दु सं.- 16 , तक इसके बाद सीधा दक्षिण- पूर्व दिशा में होरापन बिल्लेरी रोड पर स्थित बिन्दु सं.-17 तक, तत्पश्चात रोड के साथ-साथ सीमा रेखा बिन्दु सं.-18 (उ 15°13'27.43" पू 76°36'57.42"), तक, इसके बाद पूर्व में उत्तर में बिन्दु सं.-19 (उ 15°13'47.42" पू 76°36'35.52"), तक, सीमा रेखा इसके बाद पश्चिम कि ओर रेलवे लाइन सीमा पर स्थित बिन्दु सं.-20 (उ 15°13'46.22" पू 76°35' 34.38"), इसके बाद यह बिन्दु सं.-21 तक जाती है, तथा इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा पश्चिम कि ओर रेलवे लाइन के साथ-साथ बिन्दु सं. -22, 23, 24, 25, 26, 27, के साथ बिन्दु सं. - 28, तक, इसके बाद उत्तर कि ओर सीमा रेखा बिल्लिकालू पश्चिम संरक्षित वन कि सीमा पर स्थित बिन्दु सं. -29 तक जाती है इसके बाद सीमा रेखा उत्तर-पश्चिम दिशा में सीधा बढ़ते हुए बिल्लिकालू पश्चिम संरक्षित वन कि अन्यत्र पश्चिम बिन्दु पर स्थित बिन्दु -30 तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा पूर्व दिशा में बिल्लिकालू पश्चिम संरक्षित वन कि सीमा के साथ-साथ तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर पर स्थित बिन्दु सं.-33 तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर के साथ बिन्दु सं.- 35, तक जाती है, इसके बाद उत्तर कि ओर मुड़ कर बिन्दु सं. - तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा और आगे बढ़ कर कमलपुरा-रामासागर रोड पर स्थित बिन्दु सं. -37 तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा उत्तर-पूर्व दिशा में रोड के साथ बिन्दु सं.- 41, तक जाती है, तथा इसके बाद सीमा रेखा उत्तर कि ओर मुड़ कर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित बिन्दु सं.-42 तक, इसके बाद उत्तर-पूर्व दिशा में चलते हुए तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित बिन्दु सं.-1 तक पहुँचती है।

दारोजी भालू अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध III

सारणी क: दारोजी भालू अभयारण्य, कर्नाटक के अक्षांश-देशांतर के प्रमुख अवस्थिति

खंड - I का दारोजी भालू अभयारण्य						
मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	15	21	31.10	76	32	20.94
2	15	22	1.67	76	33	44.21
3	15	20	47.94	76	33	48.46
4	15	20	40.20	76	34	11.96
5	15	19	23.12	76	35	19.54
6	15	18	35.71	76	35	22.85
7	15	18	52.45	76	36	38.45
8	15	18	14.15	76	36	58.72
9	15	18	28.80	76	36	20.05
10	15	18	6.77	76	35	34.94
11	15	18	34.31	76	33	46.66
12	15	18	27.11	76	31	14.23
13	15	19	40.33	76	31	22.80
14	15	20	46.43	76	32	52.08

खंड - II का दारोजी भालू अभयारण्य						
मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	15	17	13.45	76	33	18.76
2	15	17	22.88	76	35	1.03
3	15	16	39.40	76	36	8.71
4	15	15	20.99	76	35	7.37
5	15	16	42.10	76	36	40.75
6	15	16	58.76	76	37	37.63
7	15	16	18.98	76	38	18.74
8	15	16	19.42	76	39	21.53
9	15	15	27.07	76	39	30.74
10	15	15	30.56	76	37	56.46
11	15	15	0.43	76	37	58.84
12	15	13	42.89	76	37	47.42
13	15	14	52.08	76	36	35.21
14	15	14	11.54	76	34	23.66
15	15	15	25.02	76	34	45.98

16	15	14	33.94	76	34	1.81
17	15	14	55.14	76	31	18.52
18	15	16	1.06	76	31	53.90
19	15	16	25.10	76	32	27.82

खंड - III का दारोजी भालू अभयारण्य						
मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	15	15	46.08	76	29	10.10
2	15	15	50.76	76	29	54.56
3	15	15	25.78	76	31	15.17
4	15	14	50.60	76	30	31.75
5	15	14	30.55	76	29	6.76
6	15	15	4.90	76	29	5.78

सारणी ख: दारोजी भालू अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन पर मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर	मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	उ 15°22'46.62"	पू 76°32'38.33"	23	N 15°13'55.43"	पू 76°31'6.51"
2	उ 15°22'43.66"	पू 76°34'12.57"	24	उ 15°14'11.49"	पू 76°30'0.92"
3	उ 15°21'51.14"	पू 76°34'23.38"	25	उ 15°14'2.65"	पू 76°29'15.61"
4	उ 15°21'39.98"	पू 76°34'42.07"	26	उ 15°14'8.51"	पू 76°28'21.24"
5	उ 15°20'51.51"	पू 76°34'42.53"	27	उ 15°13'57.81"	पू 76°27'47.67"
6	उ 15°21'1.83"	पू 76°35'14.13"	28	उ 15°14'24.15"	पू 76°27'6.78"
7	उ 15°19'29.26"	पू 76°36'43.69"	29	उ 15°14'39.46"	पू 76°27'13.48"
8	उ 15°19'11.32"	पू 76°37'12.04"	30	उ 15°16'10.68"	पू 76°26'32.63"
9	उ 15°18'11.35"	पू 76°37'35.70"	31	उ 15°16'34.17"	पू 76°27'46.10"
10	उ 15°17'27.67"	पू 76°38'23.70"	32	उ 15°16'30.93"	पू 76°28'27.76"
11	उ 15°17'6.20"	पू 76°38'29.08"	33	उ 15°16'35.29"	पू 76°29'5.00"
12	उ 15°16'53.95"	पू 76°39'41.01"	34	उ 15°16'43.09"	पू 76°30'3.44"
13	उ 15°16'32.73"	पू 76°40'25.11"	35	उ 15°17'11.20"	पू 76°30'45.52"
14	उ 15°16'7.44"	पू 76°40'32.50"	36	उ 15°18'35.00"	पू 76°30'37.01"
15	उ 15°15'6.16"	पू 76°39'53.83"	37	उ 15°19'27.65"	पू 76°30'15.86"
16	उ 15°14'30.41"	पू 76°39'11.42"	38	उ 15°20'3.58"	पू 76°30'52.82"
17	उ 15°13'1.67"	पू 76°38'14.26"	39	उ 15°20'17.52"	पू 76°31'13.19"
18	उ 15°13'22.08"	पू 76°36'56.83"	40	उ 15°20'51.94"	पू 76°31'45.45"
19	उ 15°13'47.98"	पू 76°36'35.29"	41	उ 15°21'33.98"	पू 76°31'42.96"

20	उ 15°13'47.08"	पू 76°35'33.94"	42	उ 15°22'8.39"	पू 76°31'52.71"
21	उ 15°13'17.64"	पू 76°35'5.60"			
22	उ 15°13'36.90"	पू 76°34'6.79"			

उपाबंध IV

भू-निर्देशांक के साथ दारोजी भालू अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आई डी	ग्राम के ग्राम	तालुक	विस्तार वर्ग किलोमीटर में	अक्षांश			देशांतर			टिप्पणी
				डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	
ए	रामासागर	होसापेट	4.52	15	22	35.26	76	34	30.79	आंशिक ग्राम
बी	कनावीथीम मालापुरा	होसापेट	9.02	15	20	40.52	76	34	21.36	आंशिक ग्राम
सी	बुक्कासागर	होसापेट	6.49	15	20	58.99	76	31	55.20	आंशिक ग्राम
डी	वेंकटापुरा	होसापेट	7.93	15	19	48.65	76	30	59.90	आंशिक ग्राम
ई	कमालापुरा	होसापेट	34.80	15	16	46.09	76	31	27.52	आंशिक ग्राम
एफ	इंगालिगी	होसापेट	9.60	15	15	32.54	76	26	31.24	आंशिक ग्राम
जी	वद्वाराहल्ली	होसापेट	1.35	15	14	11.58	76	28	6.78	आंशिक ग्राम
एच	पप्पीनायाकानाहल्ली	होसापेट	4.28	15	14	19.28	76	29	19.54	आंशिक ग्राम
आई	बयालुवादीगेरे	होसापेट	8.80	15	14	32.17	76	31	31.26	आंशिक ग्राम
जे	दरमासागर	होसापेट	6.58	15	13	59.27	76	33	49.39	आंशिक ग्राम
के	कोट्टीगानल	होसापेट	3.06	15	13	9.34	76	35	0.96	आंशिक ग्राम
एल	गदीगानुरु	होसापेट	2.71	15	13	19.99	76	35	51.68	आंशिक ग्राम
एम	गोनालु	होसापेट	5.98	15	13	15.49	76	37	37.24	आंशिक ग्राम
एन	दारोजी	संदुरु	13.74	15	15	54.97	76	40	0.52	आंशिक ग्राम
ओ	देवालापुरा	होसापेट	4.74	15	16	59.48	76	38	46.18	आंशिक ग्राम
पी	उप्पाराहल्ली	होसापेट	7.34	15	17	31.88	76	36	26.24	आंशिक ग्राम
क्यू	मेतरी	होसापेट	11.07	15	18	33.08	76	37	22.44	आंशिक ग्राम
कुल :			142.01							

उपाबंध V**पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबंध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2018

S.O. 4893(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 2609 (E), dated 22 September, 2015, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: -esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Daroji Bear Sanctuary is situated in Hosapete and Sandur Talukas of Ballari District of Karnataka State and spread over an area of 82.72 Sq.Kms and it lies between latitudes N 15° 14' to N 15°07' and longitude E 76° 31' to E 76° 40'. This sanctuary is formed vide Government of Karnataka Notification No. FEE 159 FWL 91 dated 17-10-1994 initially notifying an area of 55.873 Sq. Kms as the Daroji Bear Sanctuary under sub-clause (b) of section 26 A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 Of 1972) and further, in the year 2008 the Government of Karnataka vide its notification no. FEE 119 FWL 2008 dated 03-10-2008 notified an additional area of 26.85 Sq.kms of Bukkasagara Reserved Forest area as Daroji Bear Sanctuary and presently, the total area of Daroji Bear Sanctuary is 82.72 sq.kms.

AND WHEREAS, the Daroji Bear sanctuary is declared precisely for the conservation of endangered mammal Indian Sloth Bear (*Melursus ursinus*). The rocky boulders and caves, scrub jungle and terrain in this sanctuary have become an ideal habitat for Sloth Bears and Leopards.

AND WHEREAS, owing to the stringent conservation practices by the forest department with the support of local NGOs and wildlife activists, the sanctuary has been regenerated and the entire ecosystem has undergone a metamorphosis. The entire luxuriant flora present is regenerated from the stumps and due to seed dispersal done by the

bears and birds. Once a barren & degraded jungle has now become a verdant green forest. Innumerable species of plants typical to the North Karnataka Scrub forest are seen here. As the forests are regenerated, the wildlife is flourishing here. The population of Indian Sloth bears over time has increased. Population of Leopard, Porcupine, Pangolin, Jackal, Black-napped Hare, Ruddy Mongoose and other wildlife has also increased and about 150 species of birds including rate Yellow-throated Bulbul, Painted Spur fowl have been identified here and Reptiles like Star tortoise, Python, Russell's viper, Red Sand Boa, Cobra and many snakes are seen here.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph-1 of this notification around the protected area of Daroji Bear Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 1.0 kilometer to 4.7 kilometer around the boundary of Daroji Bear Sanctuary in the State of Karnataka as the Daroji Bear Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 1.0 kilometer to 4.7 kilometer around the Daroji Bear Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is 158.70 Sq Kms (including the Bilikallu West Reserve Forest area and some section-4 areas).

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at Annexure I.

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at Annexure IIA-E.

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at Annexure III (A) and (B) respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Annexure IV.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department;
- (xii) Highways;

(xiii) Karnataka State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

- (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) Promoted activities and given in paragraph 4;

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be

drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. - Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(15) Vehicular Pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.

		(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 . of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. U01 in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. However, household small kirani shops etc. should be permitted within 1 km from the boundary of the Protected Area.
4.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law:
Regulated Activities		
9.	Use or production of any hazardous substances.	Regulated under applicable laws.
10.	Undertaking activities related to tourism like over-Flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
11.	Uses of Plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.
12.	Establishment of large scale commercial live stock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
14.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.

		<p>Provided that, beyond one kilometer or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential and local commercial use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3.</p> <p>(b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan.</p> <p>Beyond one kilometer and up to the extent of Eco sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.</p>
15.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.</p> <p>(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.</p>
16.	Commercial water resources including ground water harvesting.	<p>(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;</p> <p>(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority;</p> <p>(c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; however, sale of surface water or ground water should be allowed only for the drinking water needs of the local population like establishment of RO (Reverse Osmosis) units.</p> <p>(d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.</p>
17.	Erection of electrical cables and telecommunication towers, pipelines, optical fiber cables, etc.	<p>(i) Promote underground cabling & pipeline etc.</p> <p>(ii) Electric poles can be erected within the Eco-sensitive Zone as per the prescriptions under the Zonal Master Plan or with the recommendation of monitoring committee.</p>
18.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
19.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.

20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
22.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
24.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
25.	Small scale industries not causing pollution.	Nonpolluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro- based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
26.	Collection of Forest produce or Non- Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
27.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws
29.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
30.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
31.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
38.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
39.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
40.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

5. Monitoring Committee .- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), comprising of the following consisting of not more than ten members namely:-

1.	Regional Commissioner, Gulbarga	Chairman;
2.	Hon'ble Member of Legislative Assembly*, Hosapete Constituency, Ballari District	Member;
3.	A representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member;
4.	A representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member;
5.	The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board	Member;
6.	A representative of NGO working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka	Member;
7.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka	Member;
8.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
9.	The Deputy Conservator of Forests, Ballari Division, Bellary	Member Secretary.

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of Reference. –

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in Annexure V.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/137/2015-ESZ-RE]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

The point number -1 is located at the north of the Daroji Bear Sanctuary (Bukkasgara Block) on the bank of Tungabhadra River (N 150 22' 46.62" E 760 32' 38.33") the ESZ boundary line moves straight towards east to point no.-2 (N 150 22' 43.66" E 760 34' 12.57"), then the boundary line moves towards south to point no.-3 (N 150 21' 51.14" E 760 34' 23.38"), then the boundary line moves round the Ramasagara Tank to point no.-4 (N 150 21' 39.98" E 760 34' 42.07"), then the boundary line moves south to point no.-5 (N 150 20' 51.51" E 760 34' 42.53") situated on Tungabhadra Right bank canal, then the boundary line runs east along the canal to point no.-6 (N 150 21' 01.83" E 760 35' 14.13"), then boundary line runs down in south-east direction upto point no.- 7 (N 150 19' 29.26" E 760 36' 43.69"), then the boundary line runs along the bottom of the hillock to point no.-8 and point no-9, excluding the Metri village settlement, then the boundary line joins the Metri- Devalapuram Road then the boundary line runs along the road to point no.- 10 (150 17' 27.67" E 760 38' 23.70") then the boundary line turns south up to point no. 11 (N 150 17' 06.20" E 760 38' 29.08") located outside the Devalapuram village settlement, then the boundary line runs straight in south-east direction reaching point no.-12 (N 150 16' 53.95 E 760 39' 41.01") then boundary line runs in east up to point no.-13 (N 150 16' 32.73 E 760 40' 25.11") located on the bank of the water channel, then the boundary line runs south along the water channel through point no.-14 upto point no.-15 located on the northern edge of the Daroji Tank, then the boundary line runs along the boundary of the Daroji Tank to point no.- 16 , then the boundary line runs south-east straight upto point no.-17 located on the Hospet-Ballari Road, then the boundary line runs along the road to point no. -18 (N 150 13' 22.08" E 760 36' 56.83"), then the boundary line runs towards north upto point no. -19 (N 150 13' 47.98" E 760 36' 35.29"), then the boundary line runs towards west up to point no.-20 (N 150 13' 47.08" E 760 35' 33.94"), then the boundary line runs in south to point no. -21 located on the Railway line boundary, then the ESZ boundary line runs west along the Railway line through point no.-22, 23, 24, 25, 26, 27, up to point no. 28, then the boundary line runs towards north to point no. 29 located on the boundary of the Bilikallu West Reserve Forest, then the boundary line runs north-west straight to point 30 located on the western-most point of the Bilikallu West Reserve Forest, then the boundary line runs east along the boundary of the Bilikallu West Reserve Forest upto point no. 33 located on the Tungabhadra High level canal, then the boundary line runs along the Tungabhadra High level canal up to point no.- 35, then the boundary line turns north up to point no.-36 then the boundary line moves for further up to point no.-37 located on the Kamalapura – Ramasagara Road, then the boundary line moves north-east along the road up to point no.- 41, then the boundary line turns north to point no.-42 located on the bank of the Tungabhadra River, then the boundary line runs north-east along the bank of Tungabhadra River to reach the starting point no.-1.

ANNEXURE- II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DAROJI BEAR SANCTUARY



ANNEXURE-III

TABLE A: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS OF DAROJI BEAR SANCTUARY, KARNATAKA

BLOCK - I of DAROJI BEAR SANCTUARY						
Map ID	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	15	21	31.10	76	32	20.94
2	15	22	1.67	76	33	44.21
3	15	20	47.94	76	33	48.46
4	15	20	40.20	76	34	11.96
5	15	19	23.12	76	35	19.54
6	15	18	35.71	76	35	22.85
7	15	18	52.45	76	36	38.45
8	15	18	14.15	76	36	58.72
9	15	18	28.80	76	36	20.05
10	15	18	6.77	76	35	34.94
11	15	18	34.31	76	33	46.66

12	15	18	27.11	76	31	14.23
13	15	19	40.33	76	31	22.80
14	15	20	46.43	76	32	52.08

BLOCK - II of DAROJI BEAR SANCTUARY						
Map ID	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	15	17	13.45	76	33	18.76
2	15	17	22.88	76	35	1.03
3	15	16	39.40	76	36	8.71
4	15	15	20.99	76	35	7.37
5	15	16	42.10	76	36	40.75
6	15	16	58.76	76	37	37.63
7	15	16	18.98	76	38	18.74
8	15	16	19.42	76	39	21.53
9	15	15	27.07	76	39	30.74
10	15	15	30.56	76	37	56.46
11	15	15	0.43	76	37	58.84
12	15	13	42.89	76	37	47.42
13	15	14	52.08	76	36	35.21
14	15	14	11.54	76	34	23.66
15	15	15	25.02	76	34	45.98
16	15	14	33.94	76	34	1.81
17	15	14	55.14	76	31	18.52
18	15	16	1.06	76	31	53.90
19	15	16	25.10	76	32	27.82

BLOCK - III of DAROJI BEAR SANCTUARY						
Map ID	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	15	15	46.08	76	29	10.10
2	15	15	50.76	76	29	54.56
3	15	15	25.78	76	31	15.17
4	15	14	50.60	76	30	31.75
5	15	14	30.55	76	29	6.76
6	15	15	4.90	76	29	5.78

TABLE B: GEO COORDINATES OF MAJOR POINTS ON THE ON THE ECO SENSITIVE ZONE BOUNDARY AROUND DAROJI BEAR SANCTUARY.

Map ID	Latitude	Longitude	Map ID	Latitude	Longitude
1	N 15°22'46.62"	E 76°32'38.33"	23	N 15°13'55.43"	E 76°31'6.51"

2	N 15°22'43.66"	E 76°34'12.57"	24	N 15°14'11.49"	E 76°30'0.92"
3	N 15°21'51.14"	E 76°34'23.38"	25	N 15°14'2.65"	E 76°29'15.61"
4	N 15°21'39.98"	E 76°34'42.07"	26	N 15°14'8.51"	E 76°28'21.24"
5	N 15°20'51.51"	E 76°34'42.53"	27	N 15°13'57.81"	E 76°27'47.67"
6	N 15°21'1.83"	E 76°35'14.13"	28	N 15°14'24.15"	E 76°27'6.78"
7	N 15°19'29.26"	E 76°36'43.69"	29	N 15°14'39.46"	E 76°27'13.48"
8	N 15°19'11.32"	E 76°37'12.04"	30	N 15°16'10.68"	E 76°26'32.63"
9	N 15°18'11.35"	E 76°37'35.70"	31	N 15°16'34.17"	E 76°27'46.10"
10	N 15°17'27.67"	E 76°38'23.70"	32	N 15°16'30.93"	E 76°28'27.76"
11	N 15°17'6.20"	E 76°38'29.08"	33	N 15°16'35.29"	E 76°29'5.00"
12	N 15°16'53.95"	E 76°39'41.01"	34	N 15°16'43.09"	E 76°30'3.44"
13	N 15°16'32.73"	E 76°40'25.11"	35	N 15°17'11.20"	E 76°30'45.52"
14	N 15°16'7.44"	E 76°40'32.50"	36	N 15°18'35.00"	E 76°30'37.01"
15	N 15°15'6.16"	E 76°39'53.83"	37	N 15°19'27.65"	E 76°30'15.86"
16	N 15°14'30.41"	E 76°39'11.42"	38	N 15°20'3.58"	E 76°30'52.82"
17	N 15°13'1.67"	E 76°38'14.26"	39	N 15°20'17.52"	E 76°31'13.19"
18	N 15°13'22.08"	E 76°36'56.83"	40	N 15°20'51.94"	E 76°31'45.45"
19	N 15°13'47.98"	E 76°36'35.29"	41	N 15°21'33.98"	E 76°31'42.96"
20	N 15°13'47.08"	E 76°35'33.94"	42	N 15°22'8.39"	E 76°31'52.71"
21	N 15°13'17.64"	E 76°35'5.60"			
22	N 15°13'36.90"	E 76°34'6.79"			

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF DAROJI BEAR SANCTUARY
ALONG WITH GEO-COORDINATE

Map ID	Name of the Village	Taluk	Extent in Sq Kms	Latitude			Longitude			Remarks
				Deg	Min	Secs	Deg	Min	Secs	
A	Ramasagara	Hosapete	4.52	15	22	35.26	76	34	30.79	Partial Village
B	Kanavithimlapura	Hosapete	9.02	15	20	40.52	76	34	21.36	Partial Village
C	Bukkasagara	Hosapete	6.49	15	20	58.99	76	31	55.20	Partial Village
D	Venkatapura	Hosapete	7.93	15	19	48.65	76	30	59.90	Partial Village
E	Kamalapura	Hosapete	34.80	15	16	46.09	76	31	27.52	Partial Village
F	Ingali	Hosapete	9.60	15	15	32.54	76	26	31.24	Partial Village
G	Vaddarahalli	Hosapete	1.35	15	14	11.58	76	28	6.78	Partial Village

H	Pappinayakkanah alli	Hosapete	4.28	15	14	19.28	76	29	19.54	Partial Village
I	Bayaluvadigere	Hosapete	8.80	15	14	32.17	76	31	31.26	Partial Village
J	Darmasagara	Hosapete	6.58	15	13	59.27	76	33	49.39	Partial Village
K	Kottiganal	Hosapete	3.06	15	13	9.34	76	35	0.96	Partial Village
L	Gadiganuru	Hosapete	2.71	15	13	19.99	76	35	51.68	Partial Village
M	Gonalu	Hosapete	5.98	15	13	15.49	76	37	37.24	Partial Village
N	Daroji	Sanduru	13.74	15	15	54.97	76	40	0.52	Partial Village
O	Devalapura	Hosapete	4.74	15	16	59.48	76	38	46.18	Partial Village
P	Upparahalli	Hosapete	7.34	15	17	31.88	76	36	26.24	Partial Village
Q	Metri	Hosapete	11.07	15	18	33.08	76	37	22.44	Partial Village
Total :			142.01							

ANNEXURE -V**Eco-sensitive Zone Monitoring Committee - Performa of Action Taken Report: -**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.